कार्यवाही विवरण संलग्न - 05

मेसर्स तिवार्ता कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड, ग्राम–लिम्हा, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल वॉशरी (वेट प्रोसेस)–0.96 मिलियन टन/वर्ष की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 17/11/2017, दिन–शुक्रवार, समय–12:00 बजे, स्थान–तिवार्ता कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड, कोल वॉशरी परियोजना स्थल ग्राम–लिम्हा, पो.–बेलतरा, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मेसर्स तिवार्ता कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड, ग्राम–लिम्हा, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में प्रस्तावित कोल वॉशरी (वेट प्रोसेस)–0.96 मिलियन टन/वर्ष की स्थापना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, बिलासपुर एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र द टाईम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 14.10.2017 के अंक में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक **सुनवाई दिनांक 17/11/2017, दिन–शुक्रवार, समय–12:00 बजे, अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर की अध्यक्षता में स्थान–तिवार्ता कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड, कोल वॉशरी परियोजना स्थल ग्राम–लिम्हा, पो.–बेलतरा, तहसील व जिला–बिलासपुर** (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालकसार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, जिला पंचायत कार्यालय बिलासपुर, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय बिलासपुर, कार्यालय ग्राम पंचायत लिम्हा, कार्यालय ग्राम पंचायत बेलतरा, कार्यालय ग्राम पंचायत कोरबी, कार्यालय ग्राम पंचायत बांका, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) डायरेक्टर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लयू.सी.जेड.) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राऊण्ड फ्लोर ईस्ट विन्ग, न्यू सेक्रेटरियेट बिल्डिंग, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र), मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) में रखी गई थी। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार, जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, व्यापार विहार,

जिला–बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में 26 पत्र प्राप्त हुए।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित **दिनांक 17/11/2017, दिन–शुक्रवार को अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर की अध्यक्षता में स्थान–तिवार्ता कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड, कोल वॉशरी परियोजना स्थल ग्राम–लिम्हा, पो.–बेलतरा, तहसील व जिला–बिलासपुर (छ.ग.)** द्वारा निर्धारित समय पर लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री के. डी. कुंजाम, अतिरिक्त कलेक्टर, बिलासपुर द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ डॉ. अनीता सावंत, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रकिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई है।

तत्पश्चात् अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री सत्येन्द्र कौशिक, बेलतरा :–** इस लोक सुनवाई में बेलतरा और आसपास के गांव को लिया है, उसके समीप यहां कोरबा जिले के हरनमुडी गांव को क्यो नहीं लिया गया है। इस गांव के लोगों को क्यो विश्वास में नहीं लिया गया है।. हम लोक सुनवाई का विरोध करते है। यहाँ कोल वॉशरी नहीं आना चाहिए।
2. **श्री राधेश्याम कोरी, बेलतरा नेवसा :–** वॉशरी खुल रहा है ये हरनमुडी गांव कोरबा ज़िले में आता है इनको अपेक्षित क्यों किया गया है। जबकि आधा जमीन हरनमुडी गांव की है। यहाँ कोल वॉशरी नहीं आनी चाहिए।

3. **श्री राम नारायण टेकाम, लिम्हा :–** हमारे गांव में कोल वाशरी के संबंध में किसी तरह की सुनवाई नहीं हुआ है। यहां पर लोक सुनवाई हो रहा है किसी को पता नहीं था। एक दूसरे को देख सून कर उपस्थित हुये है, आधा से ज्यादा जमीन हरनमुडी गांव की लगा हुआ है। इसको शामिल न करना संदेह में है। मिडिल, प्रायमरी स्कूल, आंगन–बाड़ी उद्योग की भूमि से लगा हुआ है।

4. **श्री कुंजराम सोरठे, कदमपारा हुरनमुडी :–** इस भूमि पर जो आधार–भूत चीजे दी है इस पर अपनी बात कहूंगा, 10 कि.मी. पर कुछ भी नहीं है कोई वन नहीं है आदि क्या हमारे मानव है वो अभ्यारण से भी गये गुजरे है। अभ्यारण, भालू–चीता पर ध्यान दिया जा रहा है। क्या मानव जीवन इनसे छोटा हो गया है। मानव का जीवन तुच्छ हो गया है। क्या अधिकारी कर्मचारी यहां क्षेत्र देखने आये वो नहीं देखे क्या। बच्चे बीमार पड जायेंगे। परियोजना लगाने के लिए मना नहीं कर रहे है, ऐसी परियोजना लगे जिससे लोगों का विकास हो। लेकिन इससे विकास से ज्यादा विनाश होगा। तो हम क्या करेंगे ? ऐसे जीवन का क्या करेंगे ? मै विरोध ही करूंगा। यह परियोजना किसी भी तरह से यहां नहीं लगाना चाहिए। यदि मानव जीवन से लगाव है तो। परियोजना न खुलने दिया जाये।

5. **श्रीमती कौशल्या पोर्ते, लिम्हा :–** बेलतरा में खुली वॉशरी से कितना विकास हुआ क्यो दिया गया है ? कितना पर्यावरण का व्यवस्था हुआ है। कोल वाशरी खुलने से आये दिन दुर्घटना हो रही है। हमारी जमीन में कोल वॉशरी खुलेगा तो काले पानी से खेती–बाडी प्रभावित होगा। कोयला पानी खेत में जायेगा। हम क्या खायेंगे। क्या नौकरी की गुंजाईश है किसान को हटायेंगे तो हम क्या खायेंगे पीयेंगे। जंगल को काटकर फैक्टरी खोल रहे हो। छ.ग. के किसान पलायन हो रहे है विरोध करते है कोल वॉशरी नहीं खुलना चाहिए। समर्थन नहीं है।

6. **श्री रामफल कौशिक, बेलतरा :–** मै किसान हूँ। किसान की बात करता हूँ। मैं बेलतरा की बात करता हूँ। बेलतरा में कोल वॉशरी खुला है। वहां का दुर्दशा देखी जा सकती है। आसपास की दुर्दशा होती है उपस्थित जनता 99 प्रतिशत लोग कोल वॉशरी खुलना नहीं देना चाहते है। खेती किसानी को बढावा दिया जाना चाहिए।

बेलतरा में कोल वॉशरी आने में विरोध हुआ था। फिर भी वाशरी खुला है। किसी हालत में कोल वॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

7. **श्री रामचरण मरावी, भदरापारा बेलतरा :–** मै विरोध करता हूँ। कोल वॉशरी नहीं खुलना चाहिए। मै रामफल भैया का समर्थन करता हूँ। जनता का ख्याल रखना चाहिए। बेलतरा का विनाश हो रहा है। हम कोल वाशरी का विरोध करते है।

8. **श्री शांतिकुमार राज गेवरा, बेलतरा :–**गेवरा, बेलतरा मे भी कोल वाशरी खुला है सभी आदमी परेशान है। कोल वाशरी खुलने से जनता को कोई फायदा नहीं होगा। मालिक तथा दलाल को फायदा है। किसी भी स्थिति में नही खुलना चाहिए। किसान का अहित होगा। कोल वॉशरी से हानि पर जिसमें जिम्मेदार शासन होगी। पूर्ण रूप से विरोध करते है।

9. **श्री चन्द्रराम श्याम, भदरापारा बेलतरा :–** कोल वाशरी खुली है लोगो को बहुत परेशानी है बच्चो को परेशानी है। यह सब सरपंच, उपसरपंच सचिव की जवाबदारी होती है गांव के पंचो को पैसा चाहिए। इज्जत नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं खुलना चाहिए। बेलतरा क्षेत्र में नहीं खुलना चाहिए।

10. **श्रीमती जामबाई श्याम, जनपद अध्यक्ष पाली :–**मै समर्थन नहीं देना चाहती हूँ। आपत्ति पत्र पढकर सुनाया गया, कि प्रस्तावित कोल वॉशरी उद्योग का समर्थन नहीं है। कोल वाशरी खुलने से आसपास का जन–जीवन और पर्यावरण प्रभावित होगा। जल वायु प्रदूषण होगा। मानव जीवन प्रभावित होगा। कोल वाशरी नहीं खुलना चाहिए।

11. **श्री भागवत प्रसाद उइके, लिम्हा :–** जिन पंच सरपंच ने अनुमति दिया है उनको कहना चाहता हूँ कि कोल वाशरी नहीं खुलना चाहिए। बेलतरा को कोल वाशरी खुलने से क्या फायदा हुआ है। कोल वॉशरी बंजर भूमि में खोला जाता है। कृषि भूमि एवं आबादी क्षेत्र में नहीं खोला जाता है। खोलना है तो अपने घर में खोले लिम्हा में नहीं खोलना चाहिए। आज कितने को नौकरी देंगे। सरकार ने दी हुई नौकरी को शासन से निकाला जा रहा है। शासन–प्रशासन जिम्मेदार होंगे। जो पर्यावरण प्रदूषित करता है उसे क्यो परमिशन दिया जाता है। खाली जगह नहीं

मिला क्या ? यहां कोल वाशरी कोई शर्त में नहीं खुलना चाहिए। हरनमुडी गांव का स्कूल, आंगनबाडी इस वाशरी के बाउण्डी से लगा है।

उपस्थित जनसमूह द्वारा प्रस्तावित कोल वॉशरी का विरोध करते हुये कोल वॉशरी नहीं खुलने देंगे–नहीं खुलने देंगे की नारे बाजी की गई।

12. <u>श्री आनंद राम मरावी, ग्राम पंचायत कोरबी :–</u> कोल वॉशरी जो लगाना चाहते है पूरी तरह अमान्य है। मै इसका विरोध करता हूँ। बेलतरा गया था उससे सभी लोग परेशान है। धूल से कृषि भूमि प्रभावित होती है, धूल धक्कड खानी पडती है। इनसे बहुत नुकसान होता है। कोल वॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

13. <u>श्री लगन सिंह उईके, लिम्हा :–</u> कोल वाशरी खोलने वाले मीठी–मीठी बात बोलने वाले सबसे पहले नौकरी दे। आसपास धूल को देख ले, हमको कोयला खिलाने आये है। सड़क से जा रहे है धूल खा रहे है। मेन रोड है हाईस्कूल, मिडिल स्कूल 100 मीटर का फासला है। बडे–बडे बाउण्डी बनाऐंगे। हवा रोकेंगे। यहां पानी पीने का व्यवस्था नहीं है। ये नौकरी क्या देंगे। मान्यता दिये है निरस्त करना पडेगा। तीर कमान उठाये है। कोल वाशरी हर हाल में नहीं खुलेगा। जो खोलेगा उसको बहुत महंगा पडेगा।

उपस्थित जनसमूह द्वारा प्रस्तावित कोल वॉशरी का विरोध करते हुये कोल वॉशरी नहीं खुलेगा–नहीं खुलेगा की नारे बाजी की गई।

14. <u>छ0ग0 प्रतिनिधि एवं छ.ग. पर्यावरण एवं संस्कृति संरक्षण संगठन बिलासपुर :–</u> परियोजना जो जानकारी दिया है क्या पर्यावरण द्वारा जगह का अवलोकन किया गया है जानकारी दे। विरोध में हमारी आपत्ति है। पढकर सुनाया गया है। घोर आपत्ति की जाती है। वायु प्रदूषण का स्तर बढेगा। छ.ग. राज्य में जल स्तर नीचे जा रहा है। प्रतिवर्ष सूखा पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र बेलतरा की दूरी 3 कि.मी. है। आसपास कृषि भूमि है। कृषि भूमि में फसल लगाई जायेगी घने जंगल है वनो की कटाई बढेगी। जो चिंता जनक स्थिति होगी। पेड पौधो को काटा जायेगा। कृषि कार्य में समस्या बढेगी। सडक दुर्घटना की घटना बढेगी। पर्यावरण स्वीकृति प्रदान न किया जाये।

15. **श्री कीर्ति राज लोडर आपरेटर, बेलतरा :–** कोल वाशरी नहीं खुलना चाहिए। शासकीय जमीन को कब्जा किया है। वॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

16. **श्री फूलसिंह, पंच ग्राम पंचायत ओरकेरा :–** प्रस्तावित कोल वॉशरी के संबंध में आपत्ति पढकर सुनाया गया। स्थल कृषि भूमि, क्षेत्र कृषि प्रधान है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है। कोल वॉशरी से कृषि, जनजीवन, पर्यावरण प्रभावित क्षेत्र होगा। सभी क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। आसपास घनी आबादी भरा हुआ है।

17. **श्री नत्थूलाल उईके, नवापारा :–** किसी हालत में कोल वॉशरी नहीं खुलने देंगे। हम तो अपनी जिंदगी जी लिये। आने वाले बच्चे की जवाबदारी कौन लेगा। कैसे जियेंगे। सरकार में इन्सानियत है, सोचे।

18. **श्री यशपाल मरावी, हरनमुडी :–** कोल वॉशरी खुलने से हमको बहुत नुकसान है 100 मीटर पर प्रायमरी, मिडिल स्कूल खुला है। हरनमुडी गांव के बच्चो को नुकसान होगा। हम आज अच्छे हैं नौकरी किसी को नही मिलता है। बेलतरा में कोल वाशरी में डोनेशन लेकर नौकरी देता है। किसी के बहकावे में नही आना है। हम कोल वॉशरी नहीं खुलने देंगे।

19. **श्री हेमसिंह कोर्राम, अंधियारीपारा :–** मै विरोध करता हूँ इस वाशरी की जमीन से लगा हुआ मेरा जमीन है। शासकीय जमीन को वाशरी के अंदर दिया गया है। सरकारी जमीन वाशरी को कैसी हुई, उससे लगी हुई जमीन मेरी है। मेरी अपनी जमीन प्रभावित होगी। जमीन को देने वालो पर कार्यवाही होनी चाहिए।

20. **श्री चंदन सिंह पुलश, नवापारा :–** गांव का पुजारी हूँ। 800 से 1000 आबादी है। कोल वॉशरी खुलने का विरोध कर रहा हूँ। नहीं खुलना चाहिए।

21. **श्री शिवदास मानिकपुरी, लिम्हा :–** कोल वाशरी खुलना अन्याय है। पर्यावरण प्रदूषित होगा। मेरा 200 मीटर में खेत है। कोल वॉशरी नहीं खुलना चाहिए।

22. **श्री रामनारायण टेकाम :–** यहॉ जो महिलाएँ समर्थन में पत्र दे रही है यहाँ की नहीं है। अपना नाम एवं पता फर्जी बता रहे है। उनके उपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। कोल वॉशरी का पूर्णत विरोध करेंगे।

23. **श्रीमती उषा मरावी सरपंच, हरनमुडी:–** 100 मीटर की दूरी पर हाईस्कूल, मिडिल स्कूल आंगन–बाडी, घर–मकान है कोल वॉशरी खुलने से स्कूल के बच्चो का, लोगो

का क्या होगा ? मेरा आवेदन पहुंच गया, लोग बोरा में पैसा भर–भर के घूमे है। नौकरी देता है। लिखित में देंगे कि नहीं। नौकरी कौन दे सकते है। बेलतरा में कितनो को नौकरी दिये है कोल वाशरी नहीं खुलना है।

24. **श्री दुबराज सिंह सोरठे, उप सरपंच हरनमुडी :–** कोल वॉशरी के संबंध में लिखित आवेदन पढकर अपनी आपत्ति कोल वॉशरी नहीं खोले जाने के संबंध में पढा गया कि ग्राम–हरनमुडी प्रस्तावित कोल वॉशरी से लगा हुआ है। इससे आसपास का जन जीवन, पर्यावरण का नाश होगा। प्रभावित होगा। कोल वाशरी न खोला जाये।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अतिरिक्त कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग दोपहर 2.25 बजे अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

प्रस्तावित परियोजना के प्रस्तावक की ओर से श्री हरीश थारवानी, मेसर्स तिवार्ता कोल बेनिफिसिएशन लिमिटेड, ग्राम–लिम्हा के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग दोपहर 2.30 बजे अपर कलेक्टर द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 98 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्ति प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 24 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 300 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 74 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर

अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर

अतिरिक्त कलेक्टर
बिलासपुर (छ.ग.)